भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2282
जिसका उत्तर मंगलवार 16 मार्च, 2021
25 फाल्गुन, 1942 (शक) को दिया जाना है

बीपीसीएल का विनिवेश करने के कारण

2282. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:
श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को विनिवेश के लिए चुनने हेतु किन मानदंडों का प्रयोग किया है;

(ख) क्या सरकार बीपीसीएल के स्वामित्व को बनाए रखते हुए इसकी प्रतिस्पर्द्धा और दक्षता को बेहतर बनाने के लिए इसके प्रबंधन और संचालन में सुधार लाने के लिए कोई योजना विकसित कर रही है या किसी योजना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है और यदि नहीं, तो उक्त को न्यायोचित ठहराने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार की अन्य महारत्ना और नवरत्ना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के विनिवेश की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख) : सरकार उन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईस) के रणनीतिक विनिवेश की नीति का अनुसरण करती है जो सरकारी स्वामित्व हेतु 'उच्च प्राथमिकता' वाले नहीं माने जाते हैं। नीति आयोग को रणनीतिक विनिवेश के लिए ऐसे सीपीएसईस की पहचान करने के लिए अधिदेशित किया गया है। इस प्रयोजन हेतु, नीति आयोग ने ऐसे सीपीएसईस की (i) राष्ट्रीय सुरक्षा; (ii) अप्रत्यक्ष तौर पर शासकीय कार्य और (iii) बाजार अभाव तथा सार्वजनिक उद्देश्य के मापदंडों के आधार पर पहचान की।

2/-

बीपीसीएल के रणनीतिक विनिवेश के लिए अनुशंसाएं करते समय, नीति आयोग ने पाया कि तेल विपणन कंपनियां राष्ट्र नियंत्रित तंत्र में लाभप्रद कंपनियां हैं और भविष्य में उनके पास एक महत्वपूर्ण निवेश चक्र है। यदि निजी क्षेत्र के भागीदार की भौतिक मौजूदगी के साथ तंत्र और प्रतिस्पर्धी बन जाए जो उद्योग में बेहतर परिपाटियां स्थापित करने के साथ-साथ अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा तो विपणन स्थल पर दक्षता में काफी हद तक सुधार होगा और उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

नीति आयोग की उपरोक्त सिफारिशों के आधार पर, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 20.11.2019 को बीपीसीएल के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया था। सरकार यह प्रत्याशा करती है कि रणनीतिक खरीदार बीपीसीएल की कार्य क्षमता के ईष्टतम विकास के लिए निधियों/प्रौद्योगिकी/नए प्रबंधन आदि का समावेश करेगा। विनिवेश के बाद, बीपीसीएल के विकास से सहायक उद्योगों के विकास सहित उच्चतर आर्थिक गतिविधियों का सृजन और रोज़गार के नए अवसरों का सृजन हो सकेगा। बीपीसीएल के रणनीतिक विनिवेश द्वारा निर्मुक्त संसाधनों का उपयोग सामाजिक क्षेत्र/सरकार के विकासात्मक कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा जिससे आम जनता को लाभ होगा।

(ग) : सरकार ने अब तक 35 सीपीएसईस और सीपीएसईस की सहायक कंपनियों/ इकाईयों/संयुक्त उद्यमों के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है, जिनमें महारत्न और नवरत्न पीएसईस (जिनकी सूची **अनुबंध** में दी गई है) शामिल हैं।

इसके अलावा, बजट 2021-22 में, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ("पीएसई") संबंधी नई नीति की घोषणा की है। नीति के अनुसार, चार रणनीतिक क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिनमें धारक कंपनी के स्तर पर मौजूदा सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों की केवल न्यूनतम मौजूदगी सरकारी नियंत्रण के अधीन बनाए रखी जाएगी और शेष के निजीकरण या अन्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के साथ विलय/सहायक कंपनी बनाने पर या बंदीकरण करने पर विचार किया जाएगा। शेष क्षेत्रों में सभी पीएसईस के निजीकरण, जहाँ व्यवहार्य हो, पर विचार किया जाएगा अन्यथा ऐसे उद्यमों के बंदीकरण पर विचार किया जाएगा। रणनीतिक क्षेत्र में बनाए रखे जाने वाले पीएसईस की पहचान तदुपरांत सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन से की जाएगी।
क्रियाविधि के अनुसार, सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन से रणनीतिक क्षेत्र में बनाए रखे जाने वाले पीएसईस की पहचान की जाएगी।

*****

<u>राज्य सभा के दिनांक 16.03.2021 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 2282 के उत्तर के संबंध में अनुबंध</u>

<u>सहायक कंपनियों, इकाईयों और संयुक्त उद्यमों सहित उन सीपीएसईस की सूची जिनके रणनीतिक विनिवेश के लिए वर्ष 2016 के बाद सरकार ने 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है।</u>

क) <u>प्रक्रियाधीन सौदे</u>

क्र. सं.	**सीपीएसई का नाम**
1.	प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लि.
2.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लि.
3.	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी इंडिया लि.
4.	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. की इकाईयां
5.	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि.
6.	बीईएमएल लि.
7.	फेरो स्क्रेप निगम लि. (सहायक कंपनी)
8.	एनएमडीसी लि. का नागरनार इस्पात सयंत्र
9.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. की इकाईयां – अलॉय इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर; सेलम इस्पात संयंत्र; भद्रावती इस्पात संयंत्र

10.	पवन हंस लि.
11.	एयर इंडिया और इसकी पांच सहायक कंपनियां
12.	एचएलएल लाइफ केयर लि.
13.	इंडियन मेडिसिन एण्ड फार्मास्यूटिक्लस कॉरपोरेशन लि.
14.	भारत पर्यटन विकास निगम लि. की विभिन्न इकाईयां
15.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.
16.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि.
17.	(क) भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. को छोड़कर) (ख) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. में बीपीसीएल की हिस्सेदारी किसी रणनीतिक खरीदार सीपीएसई को
18.	शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
19.	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
20.	नीलाचल इस्पात निगम लि.
21.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.

ख) <u>मुकद्दमे के अधीन होने के कारण रोके गए सौदे</u>

क्र. सं.	**सीपीएसई का नाम**
22.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि. (सहायक कंपनी)
23.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिक्लस लि.

ग) <u>सीपीएसईस के बंदीकरण हेतु अनुशंसित/अनुमोदित होने के कारण रोके गए सौदे</u>

क्र. सं.	**सीपीएसई का नाम**
24.	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बनस लि. (सहायक कंपनी) *
25.	स्कूटर्स इंडिया लि. #
26.	भारत पंप्स एंड कम्प्रेसर्स लि. @
27.	हिन्दुस्तान प्रीफैब लि.

* सीसीईए ने 22.01.2020 को सीपीएसई के बंदीकरण का अनुमोदन किया
# सीसीईए ने 20.01.2021 को सीपीएसई के बंदीकरण का अनुमोदन किया
@ सीसीईए ने 09.12.2020 को सीपीएसई के बंदीकरण का अनुमोदन किया

घ) <u>संपन्न सौदे</u>

क्र. सं.	**सीपीएसई का नाम**
28.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि . (एचपीसीएल)
29.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. (आरईसी)
30.	हॉस्पिटल सर्विसेस कंसल्टेंसी कॉरपोरेशन (एचएससीसी) (इण्डिया) लि.
31.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनपीसीसी) लि.

32.	ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (डीसीआईएल)
33.	टीएचडीसी इंडिया लि. (टीएचडीसीआईएल)
34.	नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि. (नीपको)
35.	कामराजार पोर्ट लि. (केपीएल)